तिलस्वा

पत्रावली

PV *

जनरल रजिस्टर ... रूल 129 3 ... के

न्यायालय ... तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

दि 31.12.2014 के पर्चा ... से आंशिक सुधार के आ. न. 813/3 में 265680 घटाकर के ... व नोशन आ. न. 1501/813 रकबा 0.7614 हेक्टेयर ... दि. 11.7.2022 ईस ... 1615 ... एवं ... 6.4.2022 को खारीज/

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
177	15/22	18.5.22		3.5.24 (जवाब प्रति)
				16/7/24
				23/7/24
	2022/254			20.8.24 आंशिक सुधार (कोर्ट) पार्टी बनाना है संशोधन श्री ...
				3/9/24 संशोधन श्री ... बनाया गया है एवं (10) का प्रार्थना पत्र ...
				11/9/24
	फैसल			24/9/24
	19/11/24			15/10/24
				22/10/24
				12/11/24
				19/11/24

बनाम

श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार V/S श्री शंकरीदेवी पत्नी रतनलाल धाकड़

निवासी बिजौलियां — निवासी जाजपुर, सुशीलादेवी पत्नी मनोजकुमार धाकड़ निवासी छोटा नयागांव

अधिवक्ता वादी / अर्थी / अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री पैरोकार सरकार — श्री रामफूल धाकड़

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

राजस्थान सरकार जरिये **बनाम** शंकरी देवी पत्नि राजमल धाकड़

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 15 सन **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2.2022	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 5/4/2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
5/4/22	उपस्थित ... दिनांक 10.5.22 को ... तलबी उपखण्ड अधिकारी	
10/5/22	पत्रावली पेश हुई। पेरोकार सरकार उप.। प्रतिवादीगणों की तामिल हेतु पुनः सम्मन पोलिस प्रस्तुत करें पत्रावली वास्ते 18.5.22 को पेश हो।	
18/5/22	पत्रावली पेश हुई। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीगणो की का समन तामिल प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगणों की ओर अधिवक्ता रामफूल धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 1.6.2022 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/11/24	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी संख्या (3) के विरुद्ध एक पक्षीय मोहरा पारित किए जाते हैं। पत्रावली वास्ते निर्णय/ बहस आगामी पेशी दिनांक 19/11/24 को पेश हो। [signature]
19/11/24	पत्रावली पेश हुई पेशकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं डिक्री मुर्तिब की गई। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 15/2022

दायर तारीख 01.02.2022

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

01. शंकरी देवी पत्नि राजमल हिस्सा 1/2 जाति धाकड़ सां. जावदा खातेदार
02. सुनितादेवी पत्नि मनोज कुमार हिस्सा 1/2 जाति धाकड़ सा. छोटा नयागांव खातेदार
03. अंकित कुमार पुत्र मदनलाल जाति सुथार निवासी सां. चांदजी की खेड़ी खातेदार

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।
2. रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीयागण ।

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19/11/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलस्वां पटवार मण्डल तिलस्वां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 873/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी तृतीय प्रतिवादीगणों के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी संख्या 873/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से 0.1214 हैक्टेयर भूमि पर अंकित कुमार पुत्र मदनलाल सुथार निवासी चांदजी की खेड़ी द्वारा अवैध खनन किया गया। उक्त आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृर्षि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये।

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता रामफूल धाकड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। तथा जवाब प्रार्थना पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। अधिवक्ता विपक्षी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि आराजी संख्या 873/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि पर भू.अभि. निरिक्षक कांस्या एवं पटवार हल्का तिलस्वां के मौका पर्चा दिनांक 21.01 2022 के अनुसार उक्त भूमि पर अंकित कुमार पुत्र मदनलाल निवासी चांदजी की खेड़ी द्वारा अवैध खनन करना बताया गया है, जबकि उक्त आराजी 873/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से 0.1619 हैक्टेयर भूमि अंकित कुमार पुत्र मदनलाल सुथार ने दिनांक 08.04.2022 को क्रय कर लिया है। वर्तमान जमाबंदी एवं मौकापर्चा अनुसार जहां अवैध खनन हुआ है जो रकबा अवैध खननकर्ता के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 ने किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं किया है। इसलिए विपक्षी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध वाद पत्र अपास्त फरमाया जावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

अधिवक्ता प्रतिवादी गण ने अंकित कुमार पुत्र मदनलाल सुथार को पक्षकार बनाने बाबत् निवेदन किया एवं संशोधित वाद पेश करने हेतु लिखा गया जिसे दिनांक 23.07.2024 को स्वीकार किया गया । तहसीलदार बिजौलियां ने दिनांक 11.09.2024 को संशोधित शीर्षक वाद पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 03 को सूचनार्थ नोटिस जारी किए जो बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया । बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण विपक्षी संख्या 03 के विरूद्ध के पक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किए गए।

दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम तिलस्वां प०ह० तिलस्वां में स्थित आराजी नम्बर 873/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से विक्रय सुदा रकबा जिसमें प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा अवैध खनन किया है जिसके नवीन आराजी 1007/873 की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078, एवं जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078, नक्शा ट्रेस एवं मौका पर्चा ग्राम तिलस्वां की प्रति प्रस्तुत की हैं।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार एवं अधिवक्ता विपक्षी गण की बहस पर मनन किया।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम तिलस्वां पटवार मण्डल तिलस्वां स्थित आराजी संख्या 1007/873 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि में अवैध खनन किये जाने से उक्त आराजी संख्या 1007/873 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 19/11/**2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

बइजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 15 / 2022

दायर तारीख 01.02.2022

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

01. शंकरी देवी पत्नि राजमल हिस्सा 1/2 जाति धाकड़ सां. जावदा खातेदार
02. सुनितादेवी पत्नि मनोज कुमार हिस्सा 1/2 जाति धाकड़ सा. छोटा नयागांव खातेदार
03. अंकित कुमार पुत्र मदनलाल जाति सुथार निवासी सां. चांदजी की खेड़ी खातेदार

........मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।
2. रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीयागण ।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 19 / 11 / 2024

डिक्री दिनांक 19 / 11 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार तहसीलदार उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम तिलस्वां पटवार मण्डल तिलस्वां स्थित आराजी संख्या 1007/873 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि में अवैध खनन किये जाने से उक्त आराजी संख्या 1007/873 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

नीज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....
बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... माह ..... वर्ष 2024 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा